प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद फरीदपुर,
जनपद- बरेली ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किये जाने हेतु प्रस्ताव/डी.पी.आर. उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद फरीदपुर, जनपद- बरेली के द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रेषित किये गये प्रस्ताव/कार्ययोजना पर विचार करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव/कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

निकाय/जनपद का नाम	**प्रस्ताव का विवरण**	**प्रार्थित धनराशि (धनराशि रूपये लाख में)**	**औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाने वाली कार्ययोजना की धनराशि (धनराशि रूपये लाख में)**
नगर पालिका परिषद फरीदपुर, जनपद- बरेली ।	इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रोड हेतु	217.14	50.00

2. कृपया प्रेषित की जाने वाली कार्ययोजना/डी.पी.आर. के साथ निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति कर प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

(1) सक्षम स्तर से तकनीकी परीक्षण कराकर लोक निर्माण विभाग के अद्यतन सिडयूल रेट के अनुसार कार्ययोजना/डी.पी.आर. उपलब्ध करायी जाय।

(2) अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकाय द्वारा जो कार्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनका स्थल पर वास्तविक स्थिति का कलर्ड फोटोग्राफ संलग्न किया जाय।

(3) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत् विगत वर्षो में स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्ययोजना के साथ संलग्न किया जाय तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो

को पूर्ण किये जाने के पश्चात फोटोग्राफ संलग्न किया जाय, जिसमें कार्य प्रारम्भ होने के समय का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात का फोटोग्राफ संलग्न होना चाहिए।

यदि वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण न किये गये हों तो प्रेषित किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में 75 प्रतिशत से अधिक कार्यो के पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रारूप में डी.पी.आर. के साथ संलग्न किया जाय।

(4) वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्तावित किये जाने वाले कार्यो की विधिवत टेक्नीकल एवं फिजिकल ड्राइंग उपलब्ध करायी जाय।

(5) कार्ययोजना/डी.पी.आर. तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कार्य स्थल पर कोई विवाद न हो अन्यथा उक्त कार्य के सापेक्ष स्वीकृत कार्य की धनराशि का कहीं अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सकेगा एवं उक्त धनराशि राजकोष में वापस करनी होगी।

(6) नागर निकायों द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर लाईट/सोलर हाईमास्क लाईट एवं सौर ऊर्जा के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हेतु प्रेष्ति किये जाने वाले आगणनों में शासनादेश संख्या-एम-47/9-8-14-124ज/2014 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षण कर प्रस्ताव प्रेषित किये जाय, जिसमें इस आशय का स्पष्ट उल्लेख हो कि आगणन में प्रस्तावित दरें भारत सरकार के द्वारा निर्धारित बेन्च मार्क दरों के अनुरूप हैं ।

(7) शासन को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत प्रेषित की की जाने वाली डी.पी.आर/कार्ययोजना के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय :-

आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रेषित की गयी कार्ययोजना के प्रस्तावित कार्य **" उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यो को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है"**

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।